अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
21/03/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 35/2010** **मधु मुण्डा एवं अन्य बनाम् डोमन मुण्डा एवं अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन मधु मुण्डा व 10 अन्य आवेदकों की तरफ से डोमन मुण्डा एवं जयपाल मुण्डा के विरूद्ध दायर किया गया था। मधु मुण्डा के मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसों जितेन्द्र मुण्डा व अन्य को प्रतिस्थापित किया गया। इस वाद में अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा अपील नम्बर–107R-15/2008-09 में पारित आदेश को चुनौती दी गयी है। इस वाद में विपक्षी की तरफ से नियमित रूप से हाजिरी नहीं दी गयी। मात्र विपक्षी क्रमांक–02 की तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक–05.01.2021 को दी गयी है किन्तु पुकार पर वे उपस्थित नहीं हुये। आवेदक भी पूर्व में इस वाद के संचालन में नियमित नहीं रहे किन्तु विगत् 02 वर्षों से वे नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित हो रहे है। विपक्षी को पैरवी हेतु लगातार सूचित किया जाता रहा किन्तु उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जिस कारण इस वाद में एक पक्षीय सुनवाई की गयी तथा उभय पक्षों को लिखित बहस दायर करने हेतु मौका दिया गया। मात्र आवेदकों की तरफ से लिखित बहस दायर की गयी। उपलब्ध अभिलेख तथा आवेदकों के लिखित बहस के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि एस0 ए0 आर वाद संख्या–339/2007–08 में विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा भूमि वापसी वाद के सुनवाई हेतु तथा गवाही हेतु निर्णय लिया गया। इस आदेश के विरूद्ध विपक्षी डोमन मुण्डा के द्वारा अपर समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर की गयी। अपर समाहर्त्ता द्वारा प्रश्नगत् वाद को सुनवाई हेतु योग्य नहीं पाते हुये विशेष विनियमन पदाधिकारी के	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	आदेश को रद्द कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण दायर किया गया है। वाद का विषय खाता नम्बर–172, प्लॉट नम्बर–181, रकबा–0.67 भूमि जो रकबा मौजा–बरियातु में अवस्थित है, से सम्बन्धित है। आवेदकों का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि खतियान में भूईंहारी दर्ज है तथा भूईंहारीदार कोका मुण्डा के वे सीधे वारिस है। विपक्षियों को इस भूमि से कोई सरोकार नहीं है। आवेदकों के द्वारा विपक्षी को प्रश्नगत् भूमि से विच्छेद करने हेतु भूमि वापसी वाद–339/2007–08 दायर किया गया था। आवेदकों का दावा है कि विपक्षियों के तरफ से एक फर्जी भूमि वापसी मुकदमा वाद संख्या–0846/2005–06, मौजामिल मंसूल के विरूद्ध दायर किया गया तथा उक्त मुकदमा में भूमि वापसी का आदेश प्राप्त किया गया। यह भूमि खेवट नम्बर–18/03 जो एतवा मुण्डा के नाम से है में अवस्थित है। विपक्षी उक्त वंशावली से आते है। आवेदकों को इस मूल भूमि वापसी वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया था। वर्तमान भूखण्ड 18/04 खेवट से संबंधित है जो कोका मुण्डा के नाम से दर्ज है। कोका मुण्डा के नावल्द मृत्यु के पश्चात् आवेदक उनके सीधे रिश्तेदार है। विपक्षी की तरफ से इस वाद में दिनांक–10.07.2012 को लिखित जवाब दायर किया गया था। विपक्षी का कथन है कि एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–0846/2005–06 में भूमि वापसी का आदेश पारित होने के पश्चात् अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में उक्त आदेश के विरूद्ध अपील संख्या–76R15-2006-07 में दायर किया गया था, जिसमें उक्त आदेश को सम्पुष्ट किया गया। इस आदेश के पश्चात् विपक्षियों को विधिवत् प्रश्नगत् भूमि पर दखल दिहानी भी करायी गयी। आवेदकों के द्वारा खेवट नम्बर–18/03, 18/04 को मिलाकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदकों की तरफ से प्रत्येक बार अलग–अलग वंशावली दायर की जा रही है।	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	आवेदकों के द्वारा एक Title Suit-593/2010 भी दायर किया गया है, जो इसी भूमि से संबंधित है। ऐसे परिस्थिति में पुनः इस न्यायालय द्वारा इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सभी अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि के विषय पर भूमि वापसी वाद 0846/2005–06 दायर हुआ, जिसके आधार पर विपक्षी को दखल दिहानी भी दिलायी गयी। आवेदकों के द्वारा उक्त भूमि वापसी आदेश के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में दायर अपील संख्या–76R-2006-07 में हस्तक्षेपक बनाने हेतु अनुरोध किया गया। दिनांक–07.02.2007 को दिये गये हस्तक्षेपक आवेदन में 08 व्यक्ति का नाम था, जबकि दिनांक–12.09.2007 को दिये गये आवेदन में पुनः 11 व्यक्तियों का नाम था। उक्त दोनों हस्तक्षेपक आवेदन अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किये जा चुके थे, जिसके पश्चात् विपक्षी के भूमि वापसी के दावे को अपीलीय न्यायालय द्वारा मान्य किया गया। आवेदकों की तरफ से इस आदेश को कभी भी चुनौती नहीं दी गयी तथा एक अन्य भूमि वापसी वाद 339/2007–08 दायर किया गया। आवेदकों को अपर समाहर्त्ता के न्यायालय से पारित आदेशों की पूर्ण जानकारी थी उसके बाद भी उनके द्वारा भूमि वापसी का अलग वाद दायर किया गया। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा इस वाद में आवेदकों के वंशावली के दावे की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। स्पष्टतः एक बार भूमि वापसी की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात् उसी बिन्दु पर समीक्षा किये जाने का कोई औचित्य नहीं था। इसी कारण अपीलीय न्यायालय द्वारा इस आदेश को रद्द करते हुये प्रश्नगत् भूमि वापसी वाद संख्या–339/2007–08 को सुनवाई हेतु अयोग्य घोषित किया गया। यह भी विचारणीय है कि आवेदकों की तरफ से Title Suit 593-2010 भी दायर किया गया है तथा इस न्यायालय में वर्तमान पुनरीक्षण भी दायर किया गया है, किन्तु इस टाईटल सूट के संबंध में आवेदकों के द्वारा इस न्यायालय में कोई जानकारी नहीं दी गयी है।	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	स्पष्टतः आवेदक तथ्यों को छुपाकर विभिन्न न्यायालयों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे है। प्रश्नगत् वाद में मुख्य विषय खतियानी रैयत के वारिसों के अधिकार से संबंधित है, जिस पर राजस्व न्यायालय के द्वारा विचार किया जाना संभव नहीं है। आवेदकों के द्वारा **टाईटल सूट** पूर्व से ही सक्षम न्यायालय में दायर की जा चुकी है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.03 15:43:23 +05:30
Location: 192.168.1.40